लोक सुनवाई का विवरण

विषय :— **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 श्री सीमेंट लिमिटेड (श्री रायपुर सीमेंट प्लांट) द्वारा ग्राम सेमराडीह और भरूवाडीह, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् लाईम स्टोन माईन क्षमता 4.8 मिलियन टन/वर्ष से 8.6 मिलियन टन/वर्ष (लीज़ क्षेत्र 531.126 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 22.01.2016 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 श्री सीमेंट लिमिटेड (श्री रायपुर सीमेंट प्लांट) द्वारा ग्राम सेमराडीह और भरूवाडीह, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत् लाईम स्टोन माईन क्षमता 4.8 मिलियन टन/वर्ष से 8.6 मिलियन टन/वर्ष (लीज़ क्षेत्र 531.126 हेक्टेयर) हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। नवभारत तथा टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 22.01.2016 दिन शुक्रवार को समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक स्थान ग्राम खपराडीह में स्थित सार्वजनिक रंगमंच, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई।

इसी स्थल पर उद्योग के सीमेंट प्लांट के क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक लोक सुनवाई नियत की गई थी। उद्योग की प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजनाओं (1) लाईम स्टोन माईन (2) सीमेंट प्लांट के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 22.01.2016 को अपर कलेक्टर बलौदाबाजार श्री एम. कल्याणी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, श्री सिंग एस.डी.ओ.पी., उद्योग प्रतिनिधि श्री रवि तिवारी, श्री राकेश भार्गव तथा मान्नीय विधायक श्री जनक लाल वर्मा, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग पांच सौ जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :—

1. उद्योग के क्षमता विस्तार के तहत् लाईम स्टोन माईन की लोक सुनवाई दोपहर 11:20 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रकिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।

4. अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।

5. **उद्योग प्रतिनिधि** श्री राकेश भार्गव ने प्रस्तुतीकरण दिया। श्री भार्गव ने बताया कि श्री सीमेंट लिमिटेड, बांगर ग्रुप की एक कंपनी है, जिसकी सीमेंट उत्पादन क्षमता 23.6 मिलियन टन/वर्ष है। कंपनी की उत्पादन ईकाई बियावर–अज़मेर एवं रास–पाली, राजस्थान में एवं खपराडीह, बलौदाबाजार–भाटापारा छत्तीसगढ़ में स्थित है एवं विभाजित ग्राईडिंग ईकाई खुशखेड़ा, सूरतगढ़ एवं जोबनेर राजस्थान में लकसर उत्तराखंड में बुलंद

शहर, उत्तरप्रदेश में पानीपत हरियाणा में एवं औरंगाबाद बिहार में स्थित है। क्लिंकर 2 X 1.5 मिलियन टन/वर्ष से 2X2.6 मिलियन टन/वर्ष, वेस्ट हीट रिकवरी पॉवर प्लांट 15 मेगावॉट, कैप्टिव पॉवर प्लांट 50 मेगावॉट निकट ग्राम खपराडीह, तहसील सिमगा एवं 4.8 मिलियन टन/वर्ष क्षमता की कैप्टिव चूना पत्थर खदान, खनन पट्टा क्षेत्र 531.126 हेक्टेयर में ग्राम सेमराडीह एवं भरूवाडीह, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. के लिये पर्यावरणीय अनापत्ति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक जे–11011/235/2008-IA-II (I), दिनांक 07.03.2011 एवं उसमें संशोधन दिनांक 01.06.2011 एवं दिनांक 04.02.2015 से ली जा चुकी है, के संबंध में जानकारी देते हुये प्रस्तावित परियोजना, पर्यावरणीय अनापत्ति की स्थिति, अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परियोजना के लिये मूलभूत आवश्यकतायें, ईंधन की आवश्यकता, उत्पादन प्रकिया विवरण, वायु, ध्वनि, सतह जल, भू–जल एवं मृदा विश्लेषण के स्थानों के संबंध में, मार्च से मई 2015 के मध्य पर्यावरण आधारभूत अध्ययन, विभिन्न परिदृश्यों के लिये अधिकतम वृद्धिशील सांद्रता, वायु गुणवत्ता प्रबंधन, वर्तमान वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण एवं भंडारण, मौजूदा पौधारोपण, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षा प्रोत्साहन, आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण एवं सी.एस.आर. गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

6. अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने जनसामान्य से इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, तथा इस संबंध में राय तथा जनसामान्य के लिखित एवं मौखिक सुझाव एवं आपत्ति आंमत्रित की तथा आश्वस्त किया कि जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी हो रही है।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री विनोद वर्मा, ग्राम खपराडीह ने कहा कि आस–पास से आये ग्रामीण बंधु श्री सीमेंट की जन–सुनवाई के लिए एकत्रित हुये हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्लांट लगने से क्षेत्र का विकास होता है, उस गांव का विकास होता है, आर्थिक समृद्धि होती है, रोजगार मिलता है, हमारे गांव के स्कूल में, तालाब के मेड़ों में, सामुदायिक भवन में वृक्ष लगायें। हमने प्लांट के लिये जमीन दी है, हमें स्थाई नौकरी की बात की थी, आपने हमको काम दिया, हम धन्यवाद देते है। हमारी भावना आपके सामने ही जितने बेरोजगार घूम रहे है, उनके रोजगार की व्यवस्था करें। हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार की प्राथमिकता है, हर घर को रोजगार मिलना चाहिए, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम जन आंदोलन के लिए तैयार हैं।

2 श्री तुलेश्वर वर्मा ने कहा कि, मैं इस मंच पर श्री सीमेंट से दुःख दर्द बांटने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, 2010 में श्री जे.के वर्मा कम मूल्य में जमीन खरीदने आये थे, प्रति एकड़ तय किया रेट बढ़ेगा तो जमीन का पैसा मिलेगा, अंतर की राशि भी दी जावेगी, मेरी भी 7 एकड़ जमीन ली गई, 15 लाख तक रेट बढ़ाया गया किन्तु अंत में धोखा मिला। यह खपराडीह की बात नहीं आस–पास के चारों गांव की बात है। हमसे वादा किया गया था, 10 लाख देना था, मिला 7 लाख, 3 लाख खा गये। 15 लाख की दर से अंतर की राशि क्यों नही दी गई, श्री रवि तिवारी मंच पर उपस्थित हैं, हमारे जमीन पर प्लांट है, 3 माह पहले जमीन दिये तो क्या गुनाह किये हैं, जमीन वापस भी नही दी गई, अंतर की राशि नहीं दी गई। इससे पता चलता है कि सैकड़ो किसानों से छल किया गया। मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ धोखा हुआ है। हर किसान को 22 लाख, 15 लाख खेती का एवं 7 लाख पुनर्वास का होता है। अपने मतलब के लिए जनसुनवाई करते हैं। दूसरी यूनिट लगाना चाहते है तो रोजगार और अंतर की राशि मिलनी चाहिए।

3 श्री मोहित राम वर्मा, ग्राम खपराडीह ने कहा कि ये जवाब नहीं देंगे तथा अपनी पूरी कॉल करके जायेंगे, मैं लिखित में देता हूं।

4 श्री बलराम वर्मा, ग्राम खपराडीह ने कहा कि प्लांट शुरू हुआ था, तो कहा गया कि सबको रोजगार देंगे। दूसरी यूनिट के लिये आयें हैं, सबको रोजगार नहीं मिला है, पुरानी यूनिट में कमाई हो रही है, उसमें रोजगार दिया जावे, पहले रोजगार बढ़ाओं फिर दूसरी यूनिट लगाओ। हम विरोध करते हैं, श्री रवि तिवारी जवाब दें।

अपर कलेक्टर श्री कल्याणी ने कहा कि यह पर्यावरण की जन–सुनवाई है, पहले आप अपने विचार रखिये, फिर जो भी आपत्ति आयेगी, उन सभी का निराकरण होगा।

5 श्री मोहन साहू, ग्राम सेम्हराडीह ने कहा कि मैं प्लांट से अनुरोध करता हूं कि पहले जवाब दें, आब्जेक्शनवाईस जवाब दें, फिर दूसरी यूनिट की बात करेंगें। योग्यता के अनुसार रोजगार दें, तब प्लांट की दूसरी यूनिट लगने देंगें नहीं तो जन–सुनवाई नहीं होगी, पहले जवाब दें।

6 श्री पेकन यदु ने कहा कि हमारी एक ही मांग है, सभी बेरोजगार भाईयों की तरफ से हम गये थे तो हमें झूठा आश्वासन मिला कि 6 महीने 1 साल बाद रोजगार देंगे। सभी बेरोजगारों को स्थायी नौकरी दें तथा वेज लागू करें।

7 श्री कैलाश वर्मा ने कहा कि एक साल में 100 एम्प्लाई को अच्छी से अच्छी जगह पर नौकरी दें।

8 श्री शंकर बघेल, ग्राम सेम्हराडीह ने कहा कि पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई है, बेरोजगारी की समस्या चारों गांव की है, खेत के सभी पेड़ काट दिये गये हैं, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है अधिक से अधिक पेड़ लगाये, नौकरी दें, रोजगार दें, हमारे क्षेत्र के चारों गांव के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दें, श्री रवि तिवारी सभी प्रश्नों का जवाब दें।

9 श्री राजेश्वर सेन ने कहा कि मैं कृषक हूं, जब से प्लांट खुला है एवं जमीन गई है, लोग बेरोजगार घूम रहें हैं, प्लांट के लोग मिलना नहीं चाहते हैं, न जाने कब जवाब देंगें, श्री रवि तिवारी ने कहा था कि 4 कदम आप बढाओं हम 8 कदम बढायेंगे, सर्वे किया गया है, 6 महीने हो चुके हैं, आज तक रोजगार नहीं मिला है।

10 श्री प्रभाकर मिश्रा, ग्राम पौंसरी ने कहा कि जन–सुनवाई पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है। मैं एक आपत्ति प्रस्तुत कर रहा हूं, श्री सीमेंट के लगने के समय श्री रवि तिवारी ने पत्र दिया था कि 15 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से सौदा होगा तथा रोजगार देंगें, जबकि रजिस्ट्री के समय 8 लाख जमीन का व 7 लाख पुनर्वास का दिया गया, यदि पुनर्वास दिया जाता है तो रोजगार का हक नही रहता है, किसान कोर्ट नही जा सकता, रजिस्ट्री गलत हुई है। श्री सीमेंट को सरकारी भूमि, चारागाह, मैदान की जमीन में माईनिंग लीज़ दी गई है। सरकारी भूमि में गलत माईनिंग लीज़ जारी हुई है, ऐसी कंपनी को क्षमता विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

11 श्रीमति शंकुतला धनंजय बाघमार जनपद सदस्य ने कहा कि, श्री सीमेंट ने प्लांट लगाया है स्थानीय/क्षेत्रीय लोंगो को लाभ नही मिला है, जिन किसानों ने जमीन दी है वे बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है, स्थानीय जनता धूल खा रही है, प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है, क्षेत्र का विकास कैसे होगा, 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिये।

12 श्री मुकेश कुमार वर्मा, ग्राम सेम्हराडीह ने कहा कि श्री सीमेंट लग गया है, किसान जमीन दिये हैं, नौकरी मुद्दा है, जमीन लेते वक्त स्थाई नौकरी की बात कही गई थी, जवाब में कहा गया कि मुंदड़ा जी के पास जावो, सभी लोग कृषक हैं, टाईम नहीं है कि कोर्ट के चक्कर लगायें, श्री सीमेंट के गेट से भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि, सरपंच से सील–साईन कराकर लाओ तभी नौकरी मिलेगी, सील–साईन के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। सर्वे कराकर रखा गया है, सर्वे लिस्ट में एक नाम की चार बार एंट्री है, जनप्रतिनिधि भी धोखा देते हैं, आंदोलन के समय इसी मंच पर एकत्रित हुये थे, जनप्रतिनिधियों के लड़के, भाई स्थाई नौकरी पर हैं, इसलिये चुप्पी साधे हुये हैं। जमीन 75 से 80 प्रतिशत प्रभावित है। लोग काम के लिये बेरोजगार घूम रहे हैं। श्री सीमेंट में सुनवाई नहीं हैं, युवक शराब पीकर घूम रहे हैं, सर्वे कराते हैं, तो गांव के लोग बी.ई., आई.टी.आई.

कितना प्रदूषण हो रहा है, जिन किसानों की जमीनें ली गई हैं, उन्हें जमीन के हिसाब से प्रतिमाह बोनस दिया जावे। प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जावे, 5 गांव के लोग प्रभावित हैं।

18 श्री फंदराम मिरी, ग्राम खपराडीह ने कहा कि पड़कीडीह से सुहेला तक क्लिंकर गिरता है, पढ़ने वाले बच्चों की जान जा सकती है, ओवरलोडेड ट्रक रास्ते में चलते हैं, ट्रकों में ओवरलोडिंग न की जावे, गति कम की जावे, बच्चों को पढ़ने जाने में समस्या होती है।

19 श्री लखेल बाघमार ने कहा कि ठेकेदारी के माध्यम से काम कर रहा हूं, स्थाई नौकरी मिल जायेगी तो काम करना भूल जाउंगा क्या, जब यहां भांठा था तब से काम कर रहा हूं, तीन साल से मुझे रगड़ा जा रहा है, शादी हो गई, बच्चे भी हो गये, पहले भी 6 हजार रूपये मिलते थे, आज भी 6 हजार रूपये मिलते हैं।

20 श्री जागेश्वर वर्मा, ग्राम सेम्हराडीह ने कहा कि, मुझे पॉलीटेक्निक किये 8 महीने हो गये, श्री सीमेंट में 10 बार गया हूं, जनप्रतिनिधि/सरपंच को भी साथ लेकर गया हूं, योग्यतानुसार काम देने की बात कहते हैं, आज तक काम नहीं मिला, पूरे गांव के किसानों को काम मिलना चाहिये, सबको काम मिलना चाहिये।

21 श्रीमति सरिता नायक ने कहा कि कंपनी कहती है कि गांव को गोद लिये हैं, क्या ठेकेदारी से काम मिलने पर जिंदगी चलेगी, यदि किसी बच्चे को एक बार गोद ले लिया जावे, तो क्या दूसरी बार उसे भूख नहीं लगती है ? ठेकेदारी में जो काम कर रहें, उन्हे स्थाई नौकरी मिलनी चाहिये। कंपनी कहती है कि महिला संगठन से जुड़े हैं, समाज सेवा करते हैं, इन्होने क्या समाज सेवा की है ? महिलाओं के लिये कुछ नहीं किया गया है। 3 माह पहले लोक सुनवाई के इसी रंगमंच का उद्घाटन हुआ था, कलेक्टर महोदय ने कहा था कि जो दूसरी कंपनी पैसा दे रही है, उतना पैसा श्री सीमेंट भी देगी, ठेकेदारी में 6 हजार रूपये दिये जा रहे हैं, कम पैसे में क्या होगा ? योग्यता के हिसाब से रेट दें नहीं तो जन–आंदोलन करेंगें।

22 श्री मन्नुलाल वर्मा, ग्राम खपराडीह ने कहा कि बेरोजगारों को छलने के लिये कमिटी बनाई गई। 70 लोगों को रोजगार दिया गया, बाद में बिना कारण बताये नौकरी से निकाल दिया गया, हमने क्या गलती की ? श्री सीमेंट को जमीन देकर गलती की। बलौदाबाजार से 100 लोग आते हैं, जमीन प्लांट को दिये हैं, तो हमारा अधिकार आपका फर्ज बनता है कि रोजगार दिया जावे। जन–सुनवाई के लिये एकत्रित हुये हैं, यदि विरोध करेंगे तो क्या श्री सीमेंट नहीं लगेगा ? पहले भी जन–सुनवाई में विरोध हुआ था, किंतु यूनिट लगा, शोषण भी हुआ। अधिकारियों से सवाल है कि, क्या विरोध पर यूनिट नहीं लगेगा ? पहले भी 80 प्रतिशत लोग विरोध किये थे। अभी भी 80 से 90 प्रतिशत लोग विरोध कर रहे हैं, एक–एक आदमी साईन करेंगे, विरोध करने वाले ज्यादा हैं, तो प्लांट नहीं लगना चाहिये। जनता नहीं चाहती कि दूसरी यूनिट लगे। पहले भी छला गया है, अब सहन नहीं कर सकते। यदि हम कंपनी को दो मिनट में खड़ा कर सकते हैं, तो दो मिनट में गिरा भी सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, संरक्षण के लिये कोई काम श्री सीमेंट ने नहीं किया। सी.एस.आर. तो इनकी मजबूरी है, गांव के लिये इन्होने क्या काम किया है ? कंपनी वालों ने पर्यावरण के लिये क्या किया है ?

अपर कलेक्टर श्री कल्याणी ने कहा कि आज जो जन–सुनवाई हो रही है, उसका विरोध हो रहा है, जो भी विरोध हो रहा है, उसकी रिकार्डिंग की जा रही है। यहां पर्यावरण विभाग के लोग भी उपस्थित हैं। जन–सुनवाई की कार्यवाही पर्यावरण विभाग के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। हम सभी की उपस्थिति में जन–सुनवाई की कार्यवाही उपयुक्त

प्रकिया से हो, ऐसी व्यवस्था है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि, जन–सुनवाई की प्रति आपको भी उपलब्ध कराई जायेगी।

23 श्री रघुनंदन बाघमार ने कहा कि, बिना एन.ओ.सी. के प्लांट कैसे लगेगा ? एन.ओ.सी. में क्या शर्त दी गई है, इसकी जानकारी पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच द्वारा दी जानी चाहिये। पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच से निवेदन है कि किन शर्तो पर एन.ओ.सी. दी जाती है ? पूरी पारदर्शिता रखी जावे, कंपनी से विकास नही विनाश होता है। दारू भट्ठी खुल गई है, हमारे अधिकारी प्रतिनिधि सब आपस में मिले हुय हैं, जिन गांव में खेती होती है, क्या उन गांवों का विकास नहीं होता क्या ? हमारे प्रतिनिधि कंपनी वाले से मिले होते हैं, लाईन–2 शुरू नही होने देंगे एवं साथ मिलकर विरोध करेंगें। सुहेला के पास तालाब सूख गया, क्योंकि वहां पर खदान खुल गई। मैं तो कहता हूँ कि अनुमति मत दो। इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब निकलेगा, पहले एक कुयें के पानी से गुजारा हो जाता था, अब तालाब भी सूख. गये हैं। लाईन–2 शुरू होगा तो, ट्यूबवेल भी सूख जायेंगे, हम किसानी कैसे करेंगे ? गांव उजड़ जायेगा, गांव के किसान के पास खेत हो तो वो दूसरों को भी नौकरी दे सकता है, आज वही किसान बेरोजगार हो गया है। सीधे–साधे किसान स्थाई नौकरी के नाम से कंपनी से जुड़े थे, सपने देखे थे कि आज नहीं तो कल स्थाई हो जायेंगे। सरपंच सिर्फ अपना काम ही करता है। ठेकेदारी वाली नौकरी नहीं चाहिये, सबकी नौकरी स्थाई होनी चाहिये, तभी लाईन–2 की बात होगी। पहले कंपनी लगती है, बाद में प्रदूषण बढ़ता है, रोज शाम 5 से 6 बजे की बीच 4 से 5 बार हलचल होती है, लाईन–1 में यह हाल है, तो लाईन–2 क्या होगा ? पूरे गांव को डी.जे. के समान हिलाया जा रहा है। सीमेंट प्लांट से अरबों का व्यापार होता है, स्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जाये तभी लाईन–2 की बात होगी। भद्रापाली में बदबू की समस्या है, यह विधायक का आश्रित गांव है, वही स्थिति यहां भी हो जायेगी, तो हम कैसे रहेंगे। एक प्लांट लग चुका है, उसी में रोजगार दिया जावे। इनकी पालिसि यूज़ एंड थ्रो की है, इन्हे गांव वालों के साथ मिलकर काम करना चाहिये।

24 श्री तिलक वर्मा, ग्राम खपराडीह ने कहा कि योग्यता तो है, लेकिन नौकरी नहीं है। बाहरी आदमी को झाडू लगाने का 300 रूपये दिया जाता है, वही काम स्थानीय आदमी से कराये जाने पर 150 रूपये दिया जाता है। 12 घंटे शोषण कर, नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। कौशल विकास हेतु गांव के लोगों को प्रशिक्षित करें, चिकित्सा, शिक्षा की मुफ्त में व्यवस्था करें। गांव को गोद लिया गया है, तो सीमेंट 150 रूपये की दर से उपलब्ध करायें। स्थानीय लोगों को गेट से भगा दिया जाता है, सरपंच और जनप्रतिनिधियों के लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है। बलौदाबाजार में रोजगार मेला लगाया गया, कितने लोगों को नौकरी दी गई ? ध्वनि प्रदूषण बड़ी समस्या है, यदि आदमी ठीक से सो नहीं पायेगा, तो बीमार पड़ जायेगा। मेडिकल कैंप में दवाई उपलब्ध नहीं रहती है। मेरे जीवन यापन के लिये आधा एकड़ जमीन थी, वो भी चली गई, पिता का निधन हो गया है, नौकरी के शर्त पर रजिस्ट्री कराई गई, 9 साल से आई.टी.आई. हूं, पर नौकरी नहीं मिली, सिंघवी जी से बात हुई थी, सिंघवी जी प्लांट छोड़कर चले गये हैं, आज जो कंपनी के लोग बैठे हैं, वो कल नहीं रहेंगे तो कंपनी कहेगी, वो आदमी नहीं है, तो हम किसके पास जायेंगे। 50 प्रतिशत आदमी आई.टी.आई. योग्यता वाले बेरोजगार घूम रहे हैं। कंपनी वाले कहते हैं कि, आवश्यकता नहीं है। श्री सीमेंट ने आज तक नहीं कहा कि नौकरी नहीं देगें, लेकिन इसने नौकरी दी कब है ? कंपनी वाले 2012 से कह रहे हैं कि नौकरी देंगें। ये कहते हैं कि खपराडीह के 300 आदमी नौकरी करते हैं, मान लो 30 आदमी नौकरी कर भी रहे हैं तो क्या नौकरी कर रहे हैं ? ठेकेदारी की नौकरी कर रहे हैं। ग्रासिम सीमेंट में पी. एफ., सी.एल., मेडिकल का दिया जाता है, यहां कुछ भी नहीं है। बाहरी आदमी को 300 रूपये दिये जाते हैं, उसी काम का स्थानीय आदमी को 200 रूपये दिया जाता है। क्यों बाहर से आदमी बुलाये, क्यों अनुभव मांगते हैं, क्यों धोखा करते हैं ? किस चीज़ की जन

सुनवाई है ? रोजगार की है, पर्यावरण की है, या जमीन की है ? दिल्ली से पास करना है, तो यहां जन–सुनवाई क्यों ?

25 श्री राजेश्वर प्रसाद पटवा, ग्राम चंडी ने कहा कि ये साहब चोर है, गांव के सब लोग आवो और कंपनी का गेट बंद कर दो। हम लोग यहां भुगत रहे हैं, और ये अपना काम कर रहे हैं। बेवकूफ बनके हमने जमीन दी, ये सब बेकार है, ये खुद चोर हैं, सबको चोर बनाते हैं। कंपनी के गेट में जाकर सब लोग बैठो, जब तक मांग नहीं माने, प्लांट से मत उठो।

26 श्री मुंशीलाल घृतलहरे, ग्राम भरूवाडीह ने कहा कि पहले बच्चों को नौकरी दी जावे फिर पर्यावरण पर ध्यान दिया जावे।

27 जन–सुनवाई में उपस्थित एक वक्ता द्वारा कहा गया कि यहां शासन के अधिकारी आये हुये हैं, सबसे निवेदन है कि, रोजगार दिया जावे।

28 जन–सुनवाई में उपस्थित एक वक्ता द्वारा कहा गया कि युवा शक्ति आपके विरोध में है, सबका समय खराब किये बिना सवालों का जवाब दिया जावे।

29 श्री संतोष नायक, ग्राम सुहेला ने कहा कि हम भी प्रभावित हैं, सुहेला की जमीन का तो मुआवजा भी नहीं मिला है। हमारे गांव से ही खपराडीह में बिजली आई है।

30 श्री रवि तिवारी, उद्योग प्रतिनिधि ने कहा कि जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं, जो भी शंका है, जो भी आपत्ति है, जो भी आरोप हैं, मैं सबका जवाब दूंगा, बिना जवाब दिये नहीं जाउंगा। उन्होने बताया कि कंपनी में लगभग 1600 लोगों को रोजगार दिया गया है, जिनमें से 1300 लोग छत्तीसगढ़ के हैं, 1000 लोग बलौदाबाजार जिले से हैं। कंपनी सभी को रोजी–रोटी के अवसर देना चाहती है। क्षमता विस्तार से नौकरी के अवसर मिलेगें। 6 माह के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। जिस व्यक्ति ने नकल के 1500 रूपये दिये हैं, वह भुगतान की रसीद दिखाकर अपने 1500 रूपये वापस ले जावे। जमीन का रेट जब 15 लाख हो गया, तो सभी को 3 लाख रूपये का मुआवजा मिल चुका है। सभी लोगों को चेक से पेमेंट किया गया है, एक नंबर का पैसा दिया गया है। मैने जमीन के दो चेक दिये हैं, यदि किसी को कम मुआवजा मिला है, तो वह मुझसे पैसे ले सकता है।

अंत मे अपर कलेक्टर श्री एम. कल्याणी ने उपस्थित जनसामान्य को अवगत कराते हुये बताया कि श्री सीमेन्ट के द्वारा क्षमता विस्तार परियोजनाओं (1) लाईम स्टोन माईन (2) सीमेंट प्लांट की जन सुनवाई हुई है। मैं सभी को प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूं किं यह दोनों जनसुनवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई तथा सीमेंट प्लांट के विस्तार एवं खदान के विस्तार की जनसुनवाई समाप्त घोषित की गई।

यह दोनो लोक सुनवाई दोपहर 11:20 बजे प्रारंभ होकर सांय 04:10 बजे संपन्न हुई। लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान तथा लोक सुनवाई के पश्चात कुल 14 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

Jointly Signed

क्षेत्रीय अधिकारी -
पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर

(एम. कल्याणी)
अपर कलेक्टर
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)